# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 267/2011

1. शिवचरण
2. जितेन्द्र सिंह
3. लोकेन्द्र सिंह

पिसरान रामस्वरूप जाति मीणा निवासी हरसौली हाल निवासी कोटा रोड बारां

..... वादीगण

♠ बनाम ♠

1. नितेश कुमार
2. मनीष कुमार

पिसरान हंसराज जाति मीणा निवासी हरसौली

3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

....प्रतिवादीगण

**वाद वास्ते बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट**

पीठासीन अधिकारी : प्रमोद कुमार सिंधव (आर.ए.एस.)
वकील वादीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा
वकील प्रतिवादीगण : श्री रामस्वरूप नागर
दायर दिनांक–30.09.2011

निर्णय दिनांक : 15.06.2018

वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट पेश कर कथन किया कि ग्राम हरसौली के खाता संख्या 100 में खसरा नं0 305 रकबा 0.16 है0 आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण के शामलाती खाते में दर्ज हो रही है आराजी का अभी विधिवत बंटवारा नही हुआ है।

वाद पत्र मे आगे कथन किया कि वादीगण ने अपने हिस्से में दो कच्चे घर बना रखे है जिनको लेकर प्रतिवादी कम 1 व 2 आये दिन विवाद करते रहते है। तथा वादीगण को धमकी दी है कि आराजी पर पांव रखकर देखना घर तुम्हारा हे लकिन इसका उपयोग व उपभोग हम करेंगे तथा प्रतिवादीगण वादीगण का आधा हिस्सा देने से मना करते है। लडाई झगडा नही हो इसलिए वादीगण का 1/2 हिस्सा पृथक से उनके खाते दर्ज कर दिया जावें।

प्रतिवादी कम 1 व 2 न्यायालय में उपस्थित होने पर जर्ये अधिवक्त जवाब दावा व काउण्टर क्लेम पेश करके कथन किया कि वादीगण व उनके पिता रामस्वरूप जी बारां में रहते है उस आराजी पर उनका कब्जा नही है। तथा कच्चे घर भी प्रतिवादीगण ने बनाये है जिसको प्रतिवादीगण उपयोग व उपभोग में ले रहे है। और काउण्टर क्लेम में कथन किया कि वादीगण के पिता रामस्वरूप व प्रतिवादीगण के पिता हंसराज में यह सहमति बनी थी कि कच्चे घर वाला हिस्सा प्रतिवादीगण का रहेगा तथा शेष 1/2 हिस्सा वादीगण का रहेगा और काउण्टर क्लेम में प्रार्थना की कि कच्चे घर वाला 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज कर दिया जावें तथा शेष 1/2 हिस्सा वादीगण के खाते दर्ज करके खाता पृथक कर दिया जावें।

वादीगण ने काउण्टर क्लेम का जवाब उल जवाब देकर निवेदन किया कि बंटवारा की मूलभूत ज्ञात है कि अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी आराजी का पक्षकारो के मध्य विभाजन होता है प्रतिवादीगण अच्छे घर बने होने से उस आराजी को अपने पास रखना चाहते है जो विधि सम्मत नही है। उभय पक्षकार एक ही परिवार के सदस्य होने से आपस में राजीनाम करके अपने अपने अधिवक्ताओ के साथ लोक अदालत राजस्व शिविर न्याय आपके द्वार कैम्प ग्राम पंचायत हिंगोनिया में पेश किया राजीनाम के अनुसार उभयपक्ष अधिवक्ताओ ने निर्णय करने की सहमति प्रदान की। राजीनामा पक्षकारान पत्रावली में शामिल किया जाकर पक्षकारो को पढकर सुनाया व उन्होने स्वीकार किया।

राजीनाम अनुसार व उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनने के पश्चात वाद व काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार आदेश दिया जाता है कि:–

01. खसरा नं0 305 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम हरसौली में स्थित आराजी में से 0.02 है0 का आम रास्ता उत्तर दक्षिण उभय पक्षकारो के लिए खुला रहेगा जिसका उपयोग व उपभोग उभयपक्षकार करेंगे।
02. प्रतिवादी क्रम 1 व 2 नितेश कुमार व मनीष कुमार उत्तरी दिशा के आम रास्ते के पूर्वी ओर के हिस्से रकबा 0.04 है0 पर शामलाती रूप से काबिज रहेगें ये रकबा पृथक से प्रतिवादीगण के खाते दर्ज किया जावें।
03. वादी क्रम 1 शिवचरण दक्षिण ओर के हिस्से रकबा 0.04 है0 पर काबिज होगा ये रकबा शिवचरण के खाते में दर्ज किया जावें।
04. वादी क्रम 2 जितेन्द्र सिंह उत्तरी ओर आम रास्ते के पश्चिमी दिशा के हिस्से 0.02 है0 पर काबिज होगा ये रकबा जितेन्द्र सिंह के खाते दर्ज किया जावें।
05. वादी क्रम 3 लोकेन्द्र सिंह खसरा नं0 305 रकबा 0.16 है0 के मध्य हिस्से के रकबे 0.04 है0 पर काबिज होगा यह रकबा 0.04 है0 वादी के खाते दर्ज किया जावें।

इस वाद के साथ प्रार्थना पत्र संख्या 157/11 वास्ते नियुक्त किये जाने आदाता आराजी पेश किया गया था उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 22.03.2012 को निर्णय पारित करते हुए तहसीलदार मांगरोल को रिसीवर नियुक्त किया था उक्त प्रकरण संख्या 157/2011 की जमा राशि तहसीलदार मांगरोल के राजकोश में जमा है उक्त जमा राशि को उभयपक्ष वादी क्रम 1 2 व 3 तथा प्रतिवादी क्रम 1, 2 बराबर–बराबर हिस्से में लेने के अधिकारी है। उक्त राशि उभयपक्ष को दिये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प हिंगोनिया